न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 67/2011

वादीगण :-

1. नारायण पुत्र परबूराम
2. लिखा पुत्र परबूराम
3. धीरा पुत्र मांगूराम

जातियात-गुर्जर, निवासीगण-कोटड़िया
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सोमदेवी पत्नि स्व. ओमपुरी
2. देवापुरी पुत्र ओमपुरी
3. रामेश्वरपुरी पुत्र ओमपुरी
4. पिन्टूपुरी पुत्र ओमपुरी
5. संध्या पुत्री ओमपुरी
6. शारदा पुत्री ओमपुरी

   जातियान-गुसाई,निवासी-कोटड़िया
   तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
7. सोहनकंवर पत्नि केसरसिंह
8. गोविन्दसिंह पुत्र केसरसिंह
9. भारतसिंह पुत्र केसरसिंह
10. गुलाबसिंह पुत्र रिड़मल
11. भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह
12. गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह
13. दशरथसिंह पुत्र मदनसिंह
14. भवानीसिंह पुत्र मदनसिंह
15. गिरधारीसिंह पुत्र मदनसिंह
16. भंवरकंवर पत्नि मदनसिंह
17. रघुवीरसिंह पुत्र मोडसिंह
18. रणवीरसिंह पुत्र मोडसिंह
19. कुन्दनसिंह पुत्र मोडसिंह
20. विक्रमसिंह पुत्र मोडसिंह
21. प्रेमकंवर पत्नि लादूसिंह
22. मनोहरसिंह पुत्र लादूसिंह
23. हरिसिंह पुत्र लादूसिंह
24. राजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह
25. गोविन्दसिंह पुत्र लादूसिंह
26. सवाईसिंह पुत्र जोगसिंह
27. हनुमानसिंह पुत्र जेठूसिंह
28. उम्मेदसिंह पुत्र जेठूसिंह
29. गूलसिंह पुत्र जेठूसिंह
30. नारायणसिंह पुत्र जेठूसिंह
31. रूड़सिंह पुत्र गुमानसिंह

    जातियान-राजपूत,निवासी-कोटड़िया
    तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
32. मांगूराम पुत्र भंवरूराम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

33. श्रीकिशन पुत्र भंवरूराम

34. छोटी बेवा भंवरूराम

जातियान–गुर्जर,निवासी–कोटड़िया

तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

35. अनोपी पत्नि जीवणराम

36. सुन्दरी पत्नि उदाराम

37. नौसरदेवी पत्नि ढगलाराम

38. सुन्दरी पत्नि जोराराम

39. तिजीदेवी पत्नि गोमाराम

40. राजूराम पुत्र घीसाराम

41. बिदामी पत्नि राजूराम

जातियान–गुर्जर,निवासी–मोहनगढ़

तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

42. रतना पुत्र किसना

43. भंवरू पुत्र किसना

जातियान–जाट,निवासी–कोटड़िया

तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

44. श्रवणीदेवी पत्नि राजूराम

45. खुमादेवी पत्नि उदाराम

46. छोटीदेवी पत्नि रामदेव

जातियान–गुर्जर,निवासी–कोटड़िया

तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

47. मोडाराम पुत्र छोगाराम

48. भंवरूराम पुत्र घीसाराम

49. नारायण पुत्र भैरूलाल

50. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरूलाल

51. चतुर्भुज पुत्र भैरूलाल

जातियान–गुर्जर,निवासी–कोटड़िया

तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

52. गोमाराम पुत्र सूजाराम

53. नारायणी पत्नि सूजाराम

54. रंगाराम पुत्र चन्द्राराम

55. गिरधारी पुत्र चन्द्राराम

56. सत्तू पुत्र चन्द्रा

57. हेमा पुत्र चन्द्रा

58. माना पुत्र छितर

जातियान–गुर्जर,निवासी–भांवता

जिला–अजमेर (राज.)

59. तहसीलदार, जैतारण

60. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण

तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11.03.2011**

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 08/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-कोटड़िया, पटवार हल्का-कुड़की, तहसील-जैतारण में स्थित वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 253, 246, 221, 233, 232, 226, 228, 250, 227, 229, 225, 223, 224, 241, 249 व 251 कुल किता-16 की भूमि आई हुई हैं। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के ससुर व दादा व प्रतिवादीगण के आपसी बंटवाड़े अनुसार खसरा नम्बर 253 रकबा 48-16 बीघा, खसरा नम्बर 251 रकबा 248-00 बीघा में से 7 बीघा 02 बिस्वा कुल 56-00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के ससुर व दादा का हिस्सा आता था। अन्य किसी भी खसरे में शंकरपुरी पुत्र पन्नापुरी जाति-गुसाई का हिस्सा नहीं आता था, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के ससुर व 2 के दादा थे। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में पूर्व में शंकरपुरी पुत्र पन्नापुरी का 1/10वां हिस्सा आता था तथा उसके अनुसार ही शंकरपुरी के हिस्से में 56-00 बीघा जमीन आती थी व उनका कब्जा व काश्त था। शंकरपुरी ही रिकॉर्डेड काश्तकार था। जिनकी वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष शंकरपुरी पुत्र पन्नापुरी (फौत) के वारिसान ओमपुरी पुत्र शंकरपुरी (फौत) की पत्नि सोमदेवी पत्नि ओमपुरी (प्रतिवादी संख्या 1) के वारिसान देवापुरी, रामेश्वरपुरी, पिन्टूपुरी, संध्या व शारदा हुई। उपरोक्त वंशानुसार शंकरपुरी के वारिसान हैं, जिन्हें बतौर प्रतिवादी बनाया गया हैं। उक्त भूमि शंकरपुरी की थी तथा उनका कब्जा व काश्त था। दिनांक 12/03/74 को रोकड़ रूपये प्राप्त कर शंकरपुरी ने उसी दिन उक्त भूमि वादीगण को बेचान कर दे दिया तथा कब्जा उसी दिन हल चलाकर वादीगण को सुपुर्द कर दिया, जिस पर उस दिन से आज दिन तक वादीगण का ही कब्जा व काश्त हैं, रजिस्टर्ड बेचान की प्रति साथ पेश की हैं। वादीगण अनपढ़ व्यक्ति होने व कानून का ज्ञान नहीं होने के कारण उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा, कब्जा व काश्त लेकर आज दिन तक काश्त कर रहे हैं तथा शंकरपुरी बेचानकर्ता फौत होने के बाद उक्त भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन उसके पुत्र ओमपुरी के नाम भर दिया गया तथा उसके बाद ओमपुरी फौत हो गया। जब प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने उक्त भूमि ओमपुरी का होना बताकर म्यूटेशन भरवाने व कब्जा खाली करवाने की धमकी देने पर वादीगण को ज्ञात हुआ कि अभी तक जरिये बेचान के उक्त भूमि खरीद होने के बाद भी बेचानकर्ता के वारिसान का नाम ही चल रहा हैं व पटवारी से नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण की इस भूमि में शंकरपुरी का नाम नहीं हटाया गया हैं। जबकि उक्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा शंकरपुरी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के जरिये दिनांक 12/03/74 में ही बेचान कर दी थी, जिस पर वादीगण का आज दिन तक कब्जा व काश्त हैं। उक्त भूमि वादीगण ने जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी। यदि राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया जाता हैं, तो प्रतिवादीगण पुनः इस जमीन को बेचान, बख्शीश कर देगें तथा दिनांक 22/02/11 को प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त जमीन को हम बेचा देंगे। वादीगण द्वारा पटवारी हल्का ने भी कई बार निवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने म्यूटेशन भरने से मना कर दिया, उक्त भूमि वादीगण की खरीदसुदा हैं, जो जरिये रजिस्ट्री से खरीद हैं व कब्जा व काश्त सुदा हैं, जिससे कानूनन मालिक हैं, जिन्हें राजस्व रेकर्ड में खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 7 से 58 को राहखातेदार काश्तकार होने के कारणप्रफोर्मा पक्षकार बनया गया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 59 लैण्ड होल्डर होने के कारण इन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। चूँकि प्रतिवादी संख्या 59 सरकारी अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना जरूरी हैं। लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण न्यायालय की पूर्व अनुमति से वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। बिनायवाद दिनांक 22/02/11 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा अपना फौतेदगी म्यूटेशन भरवाकर उक्त भूमि पुनः बेचान कर देने की धमकी देने पर व उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर सरहद मौजा-कोटड़िया में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9, 12 व 17, 19, 21, 23, 24, 26 व 27, 30 से 41, 44 से 46, तथा 59 व 60 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 27/07/2011 को की गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 05 नियम 20 सीपीसी दिनांक 28/05/2014 को विधिक सुनवाई पश्चात् स्वीकार किया गया। राजस्थान पत्रिका पाली/ जोधपुर संस्करण में सम्मनस दिनांक 24/06/2014 पृष्ठ संख्या 10 पर अखबार छाया (प्रकाशन) करवाया जाकर मूल अखबार प्रति वकील वादीगण द्वारा दिनांक 25/06/2014 को प्रस्तुत की, सा0मि0 हो। राजस्थान पत्रिका में सम्मनस अखबार साया प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 18, 20, 22, 25, 28 व 29, 42 व 43, 47 से 58 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 28/04/2015 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। वकील वादीगण ने शहादत वादीगण पी0डब्ल्यू0-1 नारायण तथा पी0डब्ल्यू0-2 धीरा के तरदीक सुदा शपथ-पत्र पेश किये, सा0मि0 हो। दिनांक 28/04/2015 को शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 द्वारा मुख्य परीक्षण दस्तावेजात Exp -1 से Exp -10 बेचाननामा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्रदर्शित करवाया, सामिल मिसल किया गया।

एक पक्षीय बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि खसरा नम्बर 251 व 253 की कुल 56 बीघा भूमि शंकरपुरी पुत्र बन्नापुरी के नाम से की, जिसे दिनांक 12/03/1974 को वादीगण को जरिए पंजीबद्ध बेचान कर दी। किन्तु बेचान के बाद भी विक्रेता का नाम रह गया। विक्रेता के फौत होने पर उनके वारिसान प्रति0 संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हो गये, किन्तु बेचाननामा अनुसार वादीगण के नाम दर्ज होने से रह गये। प्रति0 संख्या 1 से 6 के नाम भूमि दर्ज हो जाने से पुनः बेचान की सम्भावना रहती हैं। इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र दस्तावेजात साक्ष्य वादीगण पी0डब्ल्यू0-1 नारायण तथा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पी0डब्ल्यू0-2 के तस्दीक सुदा शपथ-पत्र भी पेश किये हैं, सा0मि0 हैं। समस्त दस्तावेजात अनुसार विक्रित 56 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना बखूबी साबित होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात यथा पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 13/03/74 पंजीबद्ध दिनांक 22/03/74 तथा अन्य राजस्व रेकर्ड शहादत वादीगण पी0डब्ल्यू0-1 नारायण व पी0डब्ल्यू0-2 घीसा के तस्दीक सुदा शपथ-पत्रादि का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित भूमि जरिए पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 13/03/74 द्वारा विक्रित होने के उपरान्त भी तत्समय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से विक्रेता का नाम अंकित रह गया। लिहाजा प्रति0 संख्या 1 से 6 के पिता द्वारा बेचान कर दिये जाने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना तथा वाद डिक्री किया जाना एवं वादीगण को विक्रित भूमि मौजा-कोटड़िया, पटवार मण्डल-कुइकी की खसरा नम्बर 251 व 253 रकबा 56 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कोटड़िया, पटवार हल्का-कुइकी, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 251 तथा 256 कुल किता-2 कुल रकबा 56-00 बीघा किस्म बा0दो0 शंकरपुरी पुत्र बन्नापुरी गुँसाई निवासी-कोटड़िया, तहसील-जैतारण द्वारा विक्रित भूमि का माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात 13/03/74 अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम भूमि विक्रित हो जाने से गलत रूप अंकित हैं, का इन्द्राज वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की छाया प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुइकी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादीगण :-

1. नारायण पुत्र परबूराम
2. लिखा पुत्र परबूराम
3. धीरा पुत्र मांगूराम

जातियात-गुर्जर, निवासीगण-कोटड़िया तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सोमदेवी पत्नि स्व. ओमपुरी
2. देवापुरी पुत्र ओमपुरी
3. रामेश्वरपुरी पुत्र ओमपुरी
4. पिन्टूपुरी पुत्र ओमपुरी
5. संध्या पुत्री ओमपुरी
6. शारदा पुत्री ओमपुरी

   जातियान-गुसाई,निवासी-कोटड़िया तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
7. सोहनकंवर पत्नि केसरसिंह
8. गोविन्दसिंह पुत्र केसरसिंह
9. भारतसिंह पुत्र केसरसिंह
10. गुलाबसिंह पुत्र रिड़मल
11. भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह
12. गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह
13. दशरथसिंह पुत्र मदनसिंह
14. भवानीसिंह पुत्र मदनसिंह
15. गिरधारीसिंह पुत्र मदनसिंह
16. भंवरकंवर पत्नि मदनसिंह
17. रघुवीरसिंह पुत्र मोडसिंह
18. रणवीरसिंह पुत्र मोडसिंह
19. कुन्दनसिंह पुत्र मोडसिंह
20. विक्रमसिंह पुत्र मोडसिंह
21. प्रेमकंवर पत्नि लादूसिंह
22. मनोहरसिंह पुत्र लादूसिंह
23. हरिसिंह पुत्र लादूसिंह
24. राजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह
25. गोविन्दसिंह पुत्र लादूसिंह
26. सवाईसिंह पुत्र जोगसिंह
27. हनुमानसिंह पुत्र जेठूसिंह
28. उम्मेदसिंह पुत्र जेठूसिंह
29. मूलसिंह पुत्र जेठूसिंह
30. नारायणसिंह पुत्र जेठूसिंह
31. रूड़सिंह पुत्र गुमानसिंह

    जातियान-राजपूत,निवासी-कोटड़िया तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
32. मांगूराम पुत्र भंवरूराम
33. श्रीकिशन पुत्र भंवरूराम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

34. छोटी बेवा भंवरूराम
जातियान–गुर्जर,निवासी–कोटड़िया
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
35. अनोपी पत्नि जीवणराम
36. सुन्दरी पत्नि उदाराम
37. नौसरदेवी पत्नि ढगलाराम
38. सुन्दरी पत्नि जोराराम
39. तिजीदेवी पत्नि गोमाराम
40. राजूराम पुत्र घीसाराम
41. बिदामी पत्नि राजूराम
जातियान–गुर्जर,निवासी–मोहनगढ़
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
42. रतना पुत्र किसना
43. भंवरू पुत्र किसना
जातियान–जाट,निवासी–कोटड़िया
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
44. श्रवणीदेवी पत्नि राजूराम
45. खुमादेवी पत्नि उदाराम
46. छोटीदेवी पत्नि रामदेव
जातियान–गुर्जर,निवासी–कोटड़िया
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
47. मोडाराम पुत्र छोगाराम
48. भंवरूराम पुत्र घीसाराम
49. नारायण पुत्र भैरूलाल
50. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरूलाल
51. चतुर्भुज पुत्र भैरूलाल
जातियान–गुर्जर,निवासी–कोटड़िया
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
52. गोमाराम पुत्र सूजाराम
53. नारायणी पत्नि सूजाराम
54. रंगाराम पुत्र चन्द्राराम
55. गिरधारी पुत्र चन्द्राराम
56. सत्तू पुत्र चन्द्रा
57. हेमा पुत्र चन्द्रा
58. माना पुत्र छितर
जातियान–गुर्जर,निवासी–भांवता
जिला–अजमेर (राज.)
59. तहसीलदार, जैतारण
60. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

मु0न0 :रा0वा0स0:67/2011

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कोटड़िया, पटवार हल्का-कुइकी, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 251 तथा 256 कुल किता-2 कुल रकबा 56-00 बीघा किस्म बा0दो0 शंकरपुरी पुत्र बन्नापुरी गुँसाई निवासी-कोटड़िया, तहसील-जैतारण द्वारा विक्रित भूमि का माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात 13/03/74 अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम भूमि विक्रित हो जाने से गलत रूप अंकित हैं, का इन्द्राज वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की छाया प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	10	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	15	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner